कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 824 / 2018 / 10–11 / 1510 भोपाल, दिनांक 23-5-2018

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **रायसेन एवं भोपाल जिले में भोपाल–विदिशा मार्ग से होकर जमुनिया–खेजड़ा पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु रायसेन वनमण्डल की 6.893 हेक्टेयर वन भूमि एवं भोपाल वनमण्डल की 1.807 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 8.700 हेक्टेयर वनभूमि म0प्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPC018/2018-BHO/084 दिनांक 19.04.2018

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1– The allotment order of 108.602 ha in favour of M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam by District Collector, Raisen dated 12/02/2012

इस बिन्दु के पालन में लेख है कि वनमण्डलाधिकारी, रायसेन ने पत्र क्रमांक / 797 दिनांक 18.05.2018 से अवगत कराया है कि कलेक्टर, जिला रायसेन के 02 अलग–अलग आदेशों दिनांक 10.12.2012 द्वारा उपरोक्त 108.602 हे0 वन भूमि का आवंटन औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को किया गया है। वनमण्डलाधिकारी, रायसेन ने पत्र क्रमांक / 797 दिनांक 18.05.2018 के पत्र की छायाप्रति संलग्न है। इस पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों में पृष्ठ क्रमांक 1 से 8 में कलेक्टर, जिला रायसेन के आदेश की प्रति संलग्न है।

2– The legal status of 108.602 ha of land allotted to Audyogik Kendra Vikas Nigam, Bhopal.

इस बिन्दु के पालन में लेख है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल को आवंटिन 108.602 हे0 भूमि मानचित्रों के आधार पर वन विभाग द्वारा अपनी मानी गई। इस संबंध में विवाद होने पर म0प्र0 शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 19.03.2015 (वनमण्डलाधिकारी, रायसेन के पत्र के साथ संलग्न पृष्ठ क्रमांक 12) द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को संयुक्त सीमांकन

Scanned by CamScanner

कराने हेतु लेख किया गया। दिनांक 15.04.2015 को कमिश्नर, भोपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विवादित भूमि का सीमांकन राजस्व एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.04.2015 को करने का निर्णय लिया गया (वनमण्डलाधिकारी, रायसेन के पत्र के साथ संलग्न पृष्ठ क्रमांक 13)। दिनांक 23.04.2017 को मौके स्थल का संयुक्त स्थल निरीक्षण एवं वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया (वनमण्डलाधिकारी, रायसेन के पत्र के साथ संलग्न पृष्ठ क्रमांक 15 से 18)।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वनमण्डलाधिकारी रायसेन ने यह भी अवगत कराया है कि प्रश्नाधीन भूमि वन खण्ड जमुनिया में आती है। इस वन खण्ड में कक्ष क्रमांक पी–5 एवं पी–6 सम्मिलित है। इस वन खण्ड का मानचित्र वनमण्डलाधिकारी, रायसेन के पत्र के साथ संलग्न पृष्ठ क्रमांक 23 पर संलग्न है। वनमण्डलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार उद्योग विभाग को जो भूमि आवंटित हुई है उसका पुराना खसरा क्रमांक 261, 262, 263 (नया 228, 229) वन खण्ड जमुनिया में सम्मिलित नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी, रायसेन द्वारा वन खण्ड का जो मानचित्र प्रस्तुत किया है उसके अवलोकन तथा म0प्र0 वन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये गये मानचित्र में काफी भिन्नता है। विभाग की वेबसाईट पर अंकित कक्ष क्रमांक पी–5 एवं पी–6 का रकबा जमुनिया वनखण्ड के रकबे से काफी अधिक है।

3– The forest clearance under Forest (Conservation) Act, 1980 for the 108.602 ha (allotted in favour of M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam) compartment No. 5 Jamunia PF/RF, Raisen.

3– बिन्दु क्रमांक 03 के पालन में लेख है कि जिलाध्यक्ष रायसेन द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम की 108.602 हेक्टेयर भूमि का अलग–अलग दो आदेशों से आवंटन किया गया है। मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम की 108.602 हेक्टेयर भूमि राजस्व भूमि होने के कारण इसका वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तन नहीं करवाया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार तीनों बिन्दुओं की जानकारी पूर्ण हो गई है, कृपया प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

23/5/18

(सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक 23-5-18

पृ. क्रमांक/एफ–5/824/2018/10–11/1511

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल रायसेन/भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, विट्टन मार्केट, तवा कॉम्पलेक्स, प्रथम तल ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Scanned by CamScanner